



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर

आपूर्ति और स्थापना की ई-खरीद के लिए निविदा

ऑनलाइन जमा की जाने वाली बोलियां (सीपीपीपी)
के लिए
(आवश्यकता की अनुसूची के अनुसार तकनीकी और वित्तीय बोली)

एनआईटी संख्या: _____

स्टोर और खरीद कार्यालय
आईआईटी जोधपुर, संस्थान भवन (पूर्व),
एनएच-65, नागौर रोड, कारवार,
जोधपुर-342037, राजस्थान
फोन: 0291 2801 101/1105, ईमेल: sps@iitj.ac.in

अनुसूची

संगठन का नाम	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर
खुली निविदा सूचना संख्या (एनआईटी)	
निविदा प्रकार (ओपन/सीमित/ईओआई/नीलामी/एकल)	
निविदा श्रेणी (सेवाएं/सामान)	
अनुबंध का प्रकार/प्रपत्र (आपूर्ति/नीलामी/सेवा/खरीद/सूचीकरण/बिक्री)	
उत्पाद श्रेणी	
क्या मल्टी करेंसी की अनुमति है	
जारी/प्रकाशन की तिथि	
दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री प्रारंभ दिनांक	
दस्तावेज डाउनलोड/बिक्री की समाप्ति तिथि	
बोली अपलोड करने की अंतिम तिथि और समय	
तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	
कवर की संख्या (1/2/3/4)	
बोली वैधता दिन (180/120/90/60/30)	180 दिन
वितरण	
ईएमडी	
संचार के लिए पता	स्टोर और खरीद कार्यालय, संस्थान भवन (पूर्व), IIT जोधपुर, NH-65, नागौर रोड, कारवाड़, जोधपुर-342037
संपर्क नंबर	0291-2801 101/ 0291-2801 105
पत्राचार के लिए ईमेल पता	sps@iitj.ac.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (इसके बाद "संस्थान" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीय महत्व का एक शैक्षिक संस्थान, संस्थान में " _____ की आपूर्ति और स्थापना के लिए दो-बोली प्रारूप में ऑनलाइन बोली आमंत्रित करता है। निविदा फॉर्म सीपीपी पोर्टल (<http://eprocure.gov.in/eprocure/app>) और संस्थान की वेबसाइट <http://www.iitj.ac.in/tenders/index.php?id=equipment> से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और इसमें सभी विशिष्टताओं/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस दस्तावेज में विशिष्टताओं/निर्देशों का अनुपालन न करने पर बोली लगाने वालों को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है। निदेशक, आईआईटी जोधपुर के पास आइटम (एकल या एकाधिक इकाइयों में) का चयन करने या किसी भी कोटेशन को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। अधूरी निविदाएं, निविदा खोलने या देर से निविदा के बाद संशोधन और परिवर्धन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1. ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश:

- 1.1. सीपीपी पोर्टल में कई मापदंडों के आधार पर सक्रिय निविदाओं को खोजने के लिए बोली लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न खोज विकल्प बनाए गए हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोली लगाने वाले कई खोज मापदंडों जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, आदि को जोड़ सकते हैं।
- 1.2. बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- 1.3. बोली के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए बोलीदाता निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से पढ़ेंगे। कृपया उन कवरों की संख्या पर ध्यान दें जिनमें बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, दस्तावेजों की संख्या - प्रत्येक दस्तावेज के नाम और सामग्री सहित, जिसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी विचलन बोली को अस्वीकार कर सकता है।
- 1.4. निविदाएं पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। तकनीकी बोलियों में, बोलीदाताओं को सभी दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना आवश्यक है। तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह की सभी बोलियां ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में जमा की जानी चाहिए।
- 1.5. कंपनी के नाम में स्मार्ट कार्ड/ई-टोकन के रूप में वैध क्लास II/III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का होना <http://eprocure.gov.in> के माध्यम से पंजीकरण और बोली प्रस्तुत करने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक शर्त है। /eprocure/ऐप. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राधिकृत प्रमाणन एजेंसियों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनका विवरण वेब साइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर "DSC के बारे में जानकारी" लिंक के तहत उपलब्ध है।
- 1.6. वेबसाइट पर निविदा अपलोड करने के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

2. निविदा दस्तावेजों की खोज

- 2.1. एक बार बोली लगाने वालों ने उन निविदाओं का चयन कर लिया है जिनमें वे रुचि रखते हैं, वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित 'मेरी निविदाएं' फोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित करने में सक्षम करेगा यदि निविदा दस्तावेज में कोई शुद्धिपत्र जारी किया गया है।
- 2.2. यदि बोलीदाता हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक निविदा को निर्दिष्ट विशिष्ट निविदा आईडी को नोट करना चाहिए।

3. बोलियों की तैयारी

- 3.1. बोलीकर्ता को अग्रिम रूप से निविदा दस्तावेज/अनुसूची में दर्शाए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज तैयार रखने चाहिए और सामान्यतः वे पीडीएफ/एक्सएलएस प्रारूप में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को काले और सफेद विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है।
- 3.2. प्रत्येक बोली के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। बोली लगाने वालों को उपलब्ध करा दिया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उपलब्ध "माई स्पेस" का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय ये दस्तावेज सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।

4. बोलियां जमा करना

- 4.1. बोलीकर्ता को बोली प्रस्तुत करने के लिए काफी पहले साइट पर लॉग इन करना चाहिए ताकि वह समय पर बोली अपलोड कर सके अर्थात बोली प्रस्तुत करने के समय पर या उससे पहले। बोलीदाता अन्य मुद्दों के कारण किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार होगा।
- 4.2. बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दर्शाए अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना होगा और अपलोड करना होगा।
- 4.3. बोलीदाता सभी घटकों और वारंटी, स्थापना आदि, जो भी लागू हो, की कीमतों को शामिल करने के लिए पंक्तियों को जोड़ सकता है।
- 4.4. सर्वर समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रस्तुत करने, बोलियों को खोलने आदि के लिए समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।
- 4.5. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज केवल अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय हो जाते हैं।
- 4.6. बोलियों के सफल और समय पर प्रस्तुत करने पर, पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली संख्या के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा। और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली जमा करने की तिथि और समय।
- 4.7. कृपया अनुपालन शीट की एक एकल पीडीएफ फाइल में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई पीडीएफ जोड़ें।

5. बोलीदाताओं को सहायता

- 5.1. निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
- 5.2. ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर निर्देशित किया जा सकता है। हेल्पडेस्क के लिए संपर्क नंबर 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 है।

6. बोलीदाताओं के लिए निर्देश:

- 6.1. तकनीकी बोली पीडीएफ प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 6.2. वित्तीय बोली .XLS प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- 6.3. कृपया एक ही पीडीएफ फाइल में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की हुई पीडीएफ जोड़ें, जैसे अनुपालन शीट, ओईएम/सिद्धांत प्रमाणपत्र आदि।
- 6.4. मूल रूप में पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वित्तीय बोली में मुख्य उपकरण/मद और उसके सामान की लागत शामिल होनी चाहिए। यदि स्थापना आदि के लिए कोई अलग लागत है तो उसे अलग से उद्धृत किया जाना चाहिए।
- 6.5. प्रत्येक बोलीदाता को ऑनलाइन जमा की गई शीर्ष बोलियों पर निम्नलिखित संदर्भ के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए:
" _____ "।
- 6.6. निविदा में उद्धृत विनिर्देशों को सत्यापित करने के लिए मुद्रित साहित्य और पूर्ण तकनीकी विवरण देने वाले कैटलॉग/ब्रोशर को तकनीकी बोली के साथ शामिल किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं को अपनी प्रतिष्ठा, साख और पिछले प्रदर्शन के समर्थन में .पीडीएफ प्रारूप में उपयुक्त दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी चाहिए।
- 6.7. दें अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
- 6.8. बोली दस्तावेजों में संशोधन : बोलियां जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, आईआईटी जोधपुर, किसी भी कारण से, अपनी पहल पर या संभावित बोलीदाता द्वारा स्पष्टीकरण अनुरोध के जवाब में बोली दस्तावेज को संशोधित कर सकता है।
- 6.9. तकनीकी प्रस्ताव में कोई मूल्य जानकारी शामिल नहीं होनी चाहिए। कृपया तकनीकी बोली के लिफाफे में 'वित्तीय बोली' (उद्धृत मूल्य) न डालें। यदि तकनीकी बोली के साथ उद्धृत मूल्य प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

ऑनलाइन बोली मूल्य:

बोलीदाता मूल्य अनुसूची पर इकाई मूल्य और अनुबंध के तहत आपूर्ति करने के लिए प्रस्तावित माल की कुल बोली कीमतों का संकेत देगा। इसके लिए, बोलीदाताओं को "आवश्यकता की अनुसूची" में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक शेड्यूल के लिए ऑनलाइन बोली जमा करने और संयुक्त शेड्यूल के लिए छूट प्रदान करने का विकल्प दिया जाता है। हालांकि, बोलीदाताओं को प्रत्येक अनुसूची के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं की पूरी आवश्यकता के लिए एक जिम्मेदारी के आधार पर उद्धृत करना होगा, ऐसा न करने पर ऐसी बोलियों (प्रश्न में अनुसूची के लिए) को मूल्यांकन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा और पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

I. भारत से पेश किए गए सामानों के लिए:

- माल की कीमत गंतव्य के आधार पर उद्धृत की जानी चाहिए, माल दुलाई, स्थापना आदि के लिए शुल्क संलग्न जीएसटी अधिसूचना को संदर्भित करने के बाद लागू होने वाले जीएसटी सहित उल्लेख किया जा सकता है।
- किसी भी बिक्री या अन्य करों/शुल्कों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए, जो अनुबंध दिए जाने पर भारत में माल पर देय होगा।
- अंतर्देशीय परिवहन, बीमा और अन्य स्थानीय लागतों के लिए उनके अंतिम गंतव्य तक माल की डिलीवरी के लिए शुल्क का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन बोली में विशेष रूप से इंगित नहीं की गई लागत, करों, शुल्कों आदि के किसी भी तत्व का भुगतान क्रेता द्वारा नहीं किया जाएगा। यदि BOQ (वित्तीय बोली) में GST राशि का उल्लेख नहीं किया गया है, तो कुल लागत को GST सहित माना जाएगा। बाद में कोई और संचार मनोरंजन नहीं किया जाएगा।

II. विदेश से पेश किए गए सामानों के लिए

- माल की कीमत एक्स-वर्क्स/एफसीए/एफओबी में उद्धृत की जाएगी और फर्म के नियमों और शर्तों में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
- भारत में प्रवेश के बंदरगाह से उनके अंतिम गंतव्य तक माल की डिलीवरी के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बीमा और अन्य स्थानीय लागतों के लिए शुल्क निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- एफओबी, एफसीए, एक्स-वर्क्स आदि की शर्तें चेंबर ऑफ कॉमर्स, पैड्स द्वारा प्रकाशित INCOTERMS के वर्तमान संस्करण में निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होंगी।
- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के दौरान स्थिर और स्थिर रहेंगे और किसी भी खाते में भिन्नता के अधीन नहीं होंगे, जब तक कि आवश्यकताओं की अनुसूची में अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।
- या तो विदेशी सिद्धांत की ओर से एजेंट या विदेशी सिद्धांत सीधे निविदा में बोली लगा सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां एजेंट एक निर्माता की ओर से निविदा में भाग लेते हैं, उन्हें पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

III. बोली मुद्राएँ

- घरेलू सामानों के लिए कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। भारतीय एजेंट के लिए कमीशन, यदि देय है, भी केवल भारतीय रुपये में ही उद्धृत किया जाएगा।
- आयातित वस्तुओं के लिए कीमतें या तो भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी या विदेशी मुद्रा में उद्धृत की जा सकती हैं, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्राओं की अधिसूचित टोकरी और संबद्ध कार्य और सेवाओं के हिस्से के तहत होनी चाहिए, जो भारत में की जानी हैं (जैसे) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग) भारतीय मुद्रा में उद्धृत किया जाना है।

IV. भारतीय एजेंट

- यदि किसी विदेशी बोलीदाता ने अपनी ऑनलाइन बोली के संबंध में भारत में किसी एजेंट को नियुक्त किया है, तो उसे ऑनलाइन बोली में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
 - भारतीय एजेंट का नाम और पता उनकी स्थायी आयकर संख्या के साथ।
 - एजेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण

- iii. एजेंसी कमीशन मूल्य अनुसूची में दिए गए स्थान में इंगित किया जाएगा और बोली लगाने वाले के एजेंट को भारतीय रुपये में भुगतान किया जाएगा।

7.2 समिति की शर्तें

- 7.2.1 नियत तिथि पर तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी और निदेशक, आईआईटी जोधपुर द्वारा गठित पीएफसी को भेजी जाएंगी। समिति निविदा के तकनीकी पहलुओं को देखेगी और लघु सूचीबद्ध फर्मों की सिफारिश करेगी। पीएफसी की सिफारिश अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। विनिर्देशों के अनुसार निविदा की गई वस्तुओं के निर्माण की क्षमताओं का आकलन करने के लिए पीएफसी विनिर्माण स्थल का दौरा कर सकता है।
- 7.2.2 तकनीकी मूल्यांकन तकनीकी बोली का मूल्यांकन होगा। IIT जोधपुर के प्रतिनिधि तकनीकी बोलियों के विस्तृत मूल्यांकन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, जैसा कि आवश्यकताओं, विनिर्देशों और संबद्ध तकनीकी विवरणों की अनुसूची में परिभाषित किया गया है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे निविदा में निर्धारित आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हैं या नहीं। इस तरह के निर्धारण पर पहुंचने के लिए, आईआईटी जोधपुर बोलीदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच करेगा और इस निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार उसका मूल्यांकन करेगा।
- 7.2.3 पीएफसी प्राप्त बोलियों के सभी तकनीकी पहलुओं की जांच करेगा। इसके अलावा, पीएफसी आईआईटी जोधपुर या अन्य संस्थानों में मौजूदा उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और यदि आवश्यक हो तो बोली लगाने वालों से तकनीकी प्रस्तुतियों की मांग भी कर सकता है।
- 7.2.4 प्राप्त जानकारी और पहले से जमा की गई बोलियों को एक साथ निविदा विनिर्देशों के संदर्भ में जांचा जाएगा और पीएफसी द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
- 7.2.5 के बाद, IIT जोधपुर ई - प्रोक्योरमेंट पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर अस्वीकृति के कारणों के साथ उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिनकी बोलियों को तकनीकी रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।
- 7.2.6 सफल बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली खोलने की तिथि और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 7.2.7 दो बोलियां (तकनीकी और वाणिज्यिक) प्राप्त करने का उद्देश्य तकनीकी आधार पर सभी फर्मों का मूल्यांकन निविदा विनिर्देशों, अन्यत्र समान समाधानों / अनुप्रयोगों के प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछली आपूर्तियों के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं के विचारों को प्राप्त करना है। यह पीएफसी को संगठन के हित में एक उचित सिफारिश पर पहुंचने में सक्षम बनाएगा।
- 7.2.8 आईआईटी जोधपुर द्वारा विभिन्न बोलीदाताओं से कोई स्पष्टीकरण मांगने की स्थिति में, बोलीदाताओं को केवल तकनीकी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जो मांगे गए हैं। उस चरण में वाणिज्यिक बोली में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि कोई बोलीदाता किसी विशेष वस्तु के लिए बोली लगाने में विफल रहता है तो यह गैर - अनुपालन की श्रेणी में आता है और इसलिए ऐसी बोली पर आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। आगे इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई बोलीदाता स्पष्टीकरण के दौरान मूल्य इंगित करता है तो ऐसी बोलियों पर भी आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

8. निविदा प्रस्तावों के लिए आमंत्रण

बोलीदाताओं से दो बोलियों में विस्तृत निविदा देने का अनुरोध किया जाता है। ई।

- a. भाग - I : तकनीकी बोली
- b. भाग - II : वित्तीय बोली

तकनीकी बोली

8.1 पूर्व योग्यता और तकनीकी विशिष्टता योग्यता मानदंड

ऑनलाइन लिफाफा स्पष्ट रूप से " तकनीकी बोली - लिफाफा नंबर 1" के रूप में चिह्नित किया जाएगा, जिसमें पूर्व-योग्यता और तकनीकी विशिष्टता योग्यता के लिए मूल दस्तावेजों की सभी स्कैन की गई प्रतियां एकल पीडीएफ प्रारूप में होंगी :

लिफाफा नंबर 1 (निम्नलिखित दस्तावेज एक पीडीएफ फाइल के रूप में प्रदान किए जाने हैं)				
एस. एन.	दस्तावेज	विषय	फाइल प्रकारों	सबमिट किया गया (हां/नहीं)
1.	तकनीकी बोली (पूर्व योग्यता)	केवल निर्माता (ओं) या उनके एकमात्र अधिकृत वितरक / एजेंट ही बोली लगाने के पात्र हैं। इस निविदा के खिलाफ बोली लगाने/आदेश समाप्त करने के लिए अधिकृत एजेंट के पक्ष में मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण पत्र तकनीकी बोली के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। अनुलग्नक- II के अनुसार निर्माता का प्राधिकरण पत्र।	पीडीएफ	
2.		अनुलग्नक - III के अनुसार घोषणा पत्र	पीडीएफ	
3.		अनुबंध-IV के अनुसार गारंटी/वारंटी का प्रमाण पत्र (लेटर हेड पर)।	पीडीएफ	
4.		बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट/सावधि जमा रसीद/एनईएफटी/आरटीजीएस के रूप में निदेशक, आईआईटी जोधपुर के पक्ष में ईएमडी की स्कैन की गई कॉपी एक अनुसूची/राष्ट्रीयकृत बैंक से निकाली गई और एमएसएमई पंजीकरण वाली फर्म को एमएसएमई पंजीकरण दस्तावेजों को जमा करना होगा। ईएमडी में छूट	पीडीएफ	
5.		एजेंट के पास समान विनिर्देशों के माल की आपूर्ति और सफल स्थापना के लिए न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों के दौरान आईआईटी / आईआईआईटी / आईआईआईटी / एनआईटी / आईआईटी / आईआईएसआईआर / सीएसआईआर / आईआईएससी, सरकारी स्वायत्त निकायों, किसी भी केंद्रीय / राज्य सरकार के संगठन / पीएसयू / सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम 3 समान खरीद आदेशों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाना चाहिए। इन खरीद आदेशों की प्रति तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए। सरकारी संगठन/विभाग की सूची भी अनुलग्नक-V के अनुसार संलग्न की जानी चाहिए।	पीडीएफ	
6.		अनुबंध-VI के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर / आरटीजीएस ट्रांसफर के लिए मैडेट फॉर्म	पीडीएफ	
7.		अनुलग्नक-VII के अनुसार अनुपालन पत्रक	पीडीएफ	
8.		अनुबंध-VIII के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौता	पीडीएफ	
9.		पिछले तीन वित्तीय वर्षों के चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित/प्रमाणित शुद्ध लाभ के साथ वित्तीय विवरण, आयकर रिटर्न (आईटीआर) और अनुबंध-IX की प्रतियों के साथ तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।	पीडीएफ	
10.		स्थानीय सामग्री के प्रतिशत के लिए घोषणा	पीडीएफ	
11.		वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के साथ तकनीकी साहित्य/पत्रक और उद्धृत मॉडल (नों) के पूर्ण विनिर्देश।	पीडीएफ	
12.		निविदाकर्ता को समर्थन दस्तावेजों के साथ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत करें पिछले एक वर्ष के दौरान भारत या विदेश में किसी अन्य संस्थान के लिए उद्धृत दरों से अधिक नहीं हैं।	पीडीएफ	
13.	तकनीकी बोली (तकनीकी विशिष्टता योग्यता)	तकनीकी अनुपालन प्रमाण पत्र : यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए जो तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप हो (अनुलग्नक-I के अनुसार तकनीकी अनुपालन शीट)	पीडीएफ	
लिफाफा नंबर 2				
एस. एन.	दस्तावेज	विषय		
1.	वित्तीय बोली	मूल्य बोली बीओक्यू प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।	.xls	

उपरोक्त क्रम के अनुसार इंडेक्स पेज और पेज नंबर (तकनीकी साहित्य सहित) के साथ बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर मूल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए। मूल्यांकन के लिए अहस्ताक्षरित बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफा-I के प्रत्येक बिंदु को तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर बोली का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। किसी भी निविदाकार की निविदा, जिसने पूर्व-योग्यता मानदंड और तकनीकी योग्यता मानदंड की एक या अधिक शर्तों का अनुपालन नहीं किया है और/या निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है जैसा कि उल्लेख किया गया है/या आवश्यक/या सशर्त निविदा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाए। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित लिफाफा संख्या 1 के दस्तावेजों के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाना है।

8.2 लिफाफा 2 : "वाणिज्यिक बोली" में शामिल होगा :

- सभी मदों की लागत स्पष्ट रूप से और व्यक्तिगत रूप से वाणिज्यिक प्रस्ताव (भाग - II) में ही उल्लेख किया जाना चाहिए।
- / प्रतिस्थापन, यदि कोई हो , के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वस्तु के सामने कीमतें दर्शाई जानी चाहिए।
- डिलिवरेबल्स / सामग्री और सेवाओं के बिल की सूची।

ध्यान दें :

- किसी भी परिस्थिति में देय तिथि के विस्तार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- संयुक्त उद्यम (जेवी) की अनुमति नहीं है और आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग, और वारंटी रखरखाव और बिक्री के बाद सेवा के संबंध में कोई उप - अनुबंध की भी अनुमति नहीं है। यह प्रधानाचार्यों / उनके अधिकृत एजेंटों की एकमात्र जिम्मेदारी है।

आईआईटी जोधपुर बोली जमा करने की नियत तारीख से पहले निविदा दस्तावेजों के लिए शुद्धिपत्र जारी कर सकता है। बोलीदाता को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा जारी किए गए शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, के साथ निविदा दस्तावेजों को पढ़ना आवश्यक है। बोलीदाता को निविदा दस्तावेज के मुख्य भाग में संशोधन को शामिल नहीं करना चाहिए।

8.3 मूल्यांकन मानदंड

लिफाफा संख्या 1 में उल्लिखित दस्तावेजों के कड़ाई से अनुपालन पर आधारित होगा।

8.3.1 भले ही कोई बोलीदाता उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, वह अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होगा यदि उसके पास :

- पात्रता मानदंड दस्तावेज में आवश्यक प्रपत्रों, विवरणों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व किया या जानबूझकर जानकारी को छुपाया।
- खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड जैसे काम छोड़ना, अनुबंध को ठीक से पूरा नहीं करना, या वित्तीय विफलताओं / कमजोरियों आदि।

8.3.2 बोली मूल्यांकन :

तकनीकी मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर आईआईटी जोधपुर उन बोलीदाताओं की वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन करता है जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं।

- आईआईटी जोधपुर निम्नलिखित आधार पर अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक करेगा :
 - यदि यूनिट मूल्य और लाइन आइटम कुल के बीच कोई विसंगति है जो यूनिट मूल्य को मात्रा से गुणा करके प्राप्त किया जाता है, तो यूनिट मूल्य प्रबल होगा और लाइन आइटम कुल को ठीक किया जाएगा, जब तक कि क्रेता की राय में कोई इकाई मूल्य में दशमलव बिंदु का स्पष्ट गलत स्थान, जिस स्थिति में उद्धृत कुल पंक्ति वस्तु मान्य होगी और इकाई मूल्य को ठीक किया जाएगा।
 - यदि उप-योगों के जोड़ या घटाव के अनुरूप कुल में कोई त्रुटि है, तो उप-योग प्रबल होगा और कुल को ठीक किया जाएगा; और
 - यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी, जब तक कि शब्दों में व्यक्त राशि अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, उस स्थिति में अंकों में राशि ऊपर (i) और (ii) के अधीन होगी।
- अस्पष्ट शब्द जैसे "पैकिंग, अग्रेषण, परिवहन आदि। अतिरिक्त" इन शुल्कों की विशिष्ट राशि / प्रतिशत का उल्लेख किए बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों को अधूरा और अस्वीकृत माना जाएगा।
- सभी लघु सूचीबद्ध फर्मों के अलग-अलग प्रस्तावों के अंतिम मूल्य निर्धारण पर पहुंचने के बाद, सबसे कम फर्म को अनुबंध / खरीद आदेश से सम्मानित किया जाएगा।

8.4 अनुबंध का पुरस्कार

पुरस्कार का मापदंड

IIT जोधपुर तकनीकी रूप से योग्य पात्र बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करेगा, जिसकी बोली सबसे कम मूल्यांकित वित्तीय बोली के रूप में निर्धारित की गई है।

यदि एक से अधिक बोलीदाता समान न्यूनतम मूल्य उद्धृत करते हैं और दोनों बोलीदाताओं के नमूने तकनीकी रूप से अनुमोदित होते हैं, तो आईआईटी जोधपुर के पास एक से अधिक बोली लगाने वालों या किसी बोली लगाने वाले को अनुबंध देने का अधिकार सुरक्षित है।

- 8.5 निदेशक, आईआईटी जोधपुर प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने या सरसरी तौर पर या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9 पुरस्कार के समय विभिन्न मात्राओं के लिए क्रेता का अधिकार

- 9.1 आईआईटी जोधपुर के पास कीमत या अन्य नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बिना आवश्यकताओं की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए अनुबंध के समय पर अधिकार सुरक्षित है।
- 9.2 जिन फर्मों ने पहले ही आईआईटी जोधपुर को इसी तरह की वस्तुओं की आपूर्ति की है और आवश्यक स्थापना / बिक्री के बाद सेवा / वारंटी प्रतिस्थापन आदि को पूरा नहीं किया है। ऐसी फर्मों के प्रस्तावों पर आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उसके बाद कोई पूछताछ नहीं की जाएगी।

10 भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण

आईआईटी जोधपुर के लिए आवश्यक है कि जो बोलीकर्ता इस परियोजना के लिए बोली लगाना चाहते हैं उनके पास नैतिकता के उच्चतम मानक हों।

- 10.1 आईआईटी जोधपुर एक बोली को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित बोलीदाता इस अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में शामिल है।
- 10.2 IIT जोधपुर एक विक्रेता को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध से सम्मानित करने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, अगर यह किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि विक्रेता अनुबंध के निष्पादन के दौरान भ्रष्ट और धोखाधड़ी के तरीकों में लिप्त है।
- 11 किसी अन्य माध्यम से कार्य/आपूर्ति करना या कार्य/आपूर्ति सौंपना आवश्यक समझा जाता है विक्रेता की ओर से विफलता के कारण कुछ अन्य पार्टियों को, विक्रेता को 10 दिन का समय दिया जाएगा कि वह कार्य/आपूर्ति को सही या पूरा करे, जिसके विफल होने पर लागत/जोखिम पर अन्य माध्यमों से कार्य/आपूर्ति की जा सकती है। चूककर्ता निविदाकार के जोखिम और लागत पर निविदा आवंटित करके विक्रेता की। लागत में अंतर की वसूली मूल निविदाकर्ता लागत से की जाएगी।
- 12 **वस्तुओं का निरीक्षण :** निर्माण के समय, आईआईटी जोधपुर निरीक्षण दल सामग्री की गुणवत्ता अर्थात् अंतिम उत्पाद का निरीक्षण करने के लिए निर्माता की साइट पर जा सकता है। यदि कोई निरीक्षण किया गया या परीक्षण किया गया सामान निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं होता है, तो आईआईटी जोधपुर उन्हें अस्वीकार कर सकता है और आपूर्तिकर्ता या तो सामान को बदल देगा या विनिर्देशों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी परिवर्तन मुफ्त में करेगा।
- 13 **निविदा दस्तावेज / अनुबंध दस्तावेज में खंडों की व्याख्या:** इस निविदा दस्तावेज में किसी भी खंड की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता / विवाद के मामले में, निदेशक, आईआईटी जोधपुर द्वारा खंडों की व्याख्या अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

14 अनुबंध की शर्तें

- 14.1 **रियायत/छूट :** आईआईटीजे एक अकादमिक संस्थान होने के नाते नोटफन के संदर्भ में जीएसटी छूट और सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने का हकदार है। संख्या 51/96 दिनांक 23.07.1996, अधिसूचना सं. 28/2003- सीमा शुल्क डीटी. 01/03/2003, नोटफन। संख्या 43/2017- सीमा शुल्क डीटी। 30/06/2017 और नहीं। सं. 47/2017-एकीकृत कर (दर) दि. 14/11/2017, नोटफन। संख्या 1012018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 25/0/2018 एवं अधिसूचना संख्या 45/2017-केंद्रीय कर (दर) दि. 14/11/2017, नोटफन। सं. 45/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) दिनांक 01.01.2017 25/01/2018 समय-समय पर संशोधित। वर्तमान में यह डीएसआईआर-मिन से जारी आदेश संख्या TUN/RG-CDE(1145)12016 Dt.2810212018 द्वारा 31.08.2021 तक वैध है। एससी और टेक; सरकार। भारत की। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि यह प्रमाणपत्र आवश्यक है।

14.2 प्रदर्शन बैंक गारंटी :

किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/या सावधि जमा रसीद के बराबर राशि के लिए निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-X) में अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता होगी। खरीद आदेश जारी होने के 14 दिनों के भीतर ऑर्डर मूल्य का 3% और इसे वारंटी अवधि के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रखा जाएगा। आपूर्ति की गई वस्तु की स्थापना की तारीख से वारंटी अवधि शुरू हो जाएगी। इसलिए, प्रदर्शन बैंक गारंटी की वैधता तिथि की गणना के समय सावधान रहें। यदि बोलीदाता खरीद आदेश के अनुसार आदेश निष्पादित करने में विफल रहता है तो खरीदार सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लेगा।

14.3 प्रदर्शन बेंचमार्क

तकनीकी मूल्यांकन समिति को प्रदर्शन बेंचमार्क करने के लिए एक मूल्यांकन प्रणाली प्रदान करने की आवश्यकता है।

14.4 भुगतान की शर्तें:

आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित माध्यमों से भुगतान किया जाएगा।

14.4.1 स्वदेशी सामान: एनईएफटी / चेक / डिमांड ड्राफ्ट: आईआईटी जोधपुर में वितरण और सफल स्थापना और परीक्षण के बाद और 3% प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने पर।

14.4.2 आयातित सामान :

साख पत्र:

- a) खरीद आदेश मूल्य के 100% पर साख पत्र स्थापित किया जाएगा। शुद्ध खरीद आदेश मूल्य का 80% उपकरण के शिपमेंट पर और बैंक के माध्यम से निम्नलिखित मूल दस्तावेजों को जमा करने पर भुगतान किया जाएगा:

80% भुगतान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- i) एयर वेबिल/बिल ऑफ लैडिंग मूल रूप में।
- ii) 80% भुगतान का दावा करने के लिए दो प्रतियों में हस्ताक्षरित वाणिज्यिक चालान।
- iii) मूल देश का प्रमाण पत्र।
- iv) दो प्रतियों में पैकिंग सूची।
- v) निर्माता का गारंटी प्रमाणपत्र और इन-हाउस निरीक्षण प्रमाणपत्र प्रदान करें।
- b) शुद्ध खरीद आदेश मूल्य का शेष 20% (बीस प्रतिशत) संतोषजनक स्थापना / परीक्षण या उपकरण को चालू करने और सौंपने के बाद, संस्थान द्वारा विधिवत प्रमाणित स्थापना रिपोर्ट जमा करने पर, बैंक के माध्यम से और प्रदर्शन बैंक जमा करने पर जारी किया जाएगा। गारंटी।

20% भुगतान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:

- i) वाणिज्यिक चालान पर हस्ताक्षर किए।
- ii) क्रेता द्वारा स्वीकृति प्रमाण पत्र।
- iii) भारत के भीतर सभी बैंक शुल्क संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा और भारत के बाहर आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
- iv) प्रदर्शन बैंक गारंटी का 3% जमा करना

या

टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टीटी): डिलीवरी और सफल स्थापना के बाद और प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने पर टीटी के माध्यम से 100% भुगतान किया जाएगा।

14.5 वितरण और स्थापना:

- 14.5.1 को खरीद आदेश जारी होने की तारीख/ साख पत्र खोलने की तारीख से _____ सप्ताह के भीतर संस्थान, करवाड़ (एनएच-62), नागौर रोड, जोधपुर-342037 के स्थायी परिसर में वितरित और स्थापित किया जाएगा। सुरक्षित डिलीवरी और कमीशनिंग के सभी पहलुओं की एकमात्र जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।

- 14.5.2 **वितरण और स्थापना अवधि का विस्तार:** यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय के भीतर परियोजना / आदेश को पूरा करने में असमर्थ है, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार है, तो उसे उल्लिखित वितरण अवधि समाप्त होने से पहले वितरण अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध करना आवश्यक है। खरीद आदेश में, इसे उचित कारणों से बढ़ाया जा सकता है। यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय के भीतर आदेश को पूरा करने में विफल रहता है, तो संस्थान अनुबंध/आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और प्रदर्शन सुरक्षा/ईएमडी को जब्त किया जा सकता है।

14.6 **जुर्माना खंड**

- **विलंबित सेवाओं / एलडी के लिए:**

चूंकि समय अनुबंध का सार है, खरीद आदेश में उल्लिखित वितरण अवधि का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अन्यथा, आईआईटी जोधपुर ईएमडी / एसडी को जब्त कर लेगा और एलडी क्लॉज भी लागू / लागू होगा।

यदि आपूर्तिकर्ता नियत तिथि के भीतर आदेश में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति और स्थापित करने में विफल रहता है, तो आपूर्तिकर्ता देरी के प्रति दिन के आदेश मूल्य के 0.5 % के परिसमापन हर्जाने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो देय राशि से अधिक अधिकतम 5 % के अधीन है। तारीख। इस तरह के पैसे की कटौती किसी भी देय राशि से की जाएगी या जो आपूर्तिकर्ता को देय हो सकती है।

10 सप्ताह से अधिक की देरी होने की स्थिति में आईआईटी जोधपुर के पास आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। जुर्माना, यदि कोई हो, चालान से काट लिया जाएगा।

- **साख पत्र (एलसी) के विस्तार के दौरान**

यदि आपूर्ति में देरी को ध्यान में रखते हुए अनुबंध की डिलीवरी तिथि को बढ़ाया जाता है, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार है, तो एलसी का कार्यकाल भी बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के विस्तार (एलसी के) के लिए किए गए खर्च को आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

14.7 **कर्मियों का प्रशिक्षण:**

आपूर्तिकर्ता कंपनी की लागत पर उपकरणों की स्थापना पूरी करने के तुरंत बाद संस्थान परिसर में उपकरण के उपयोग में शामिल कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

14.8 **कार्यस्थल की तैयारी:**

आपूर्तिकर्ता खरीद आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद संस्थान को उपकरण की स्थापना के लिए साइट की तैयारी, यदि कोई आवश्यक हो, के बारे में सूचित करेगा। आपूर्तिकर्ता को उपकरण के लिए आवश्यक स्थान और अन्य सभी आधारभूत आवश्यकताओं के बारे में पूरा विवरण प्रदान करना होगा, जिसकी व्यवस्था संस्थान को उपकरण के समय पर स्थापना और उसके बाद सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपकरण के आगमन से पहले करनी चाहिए।

आपूर्तिकर्ता संस्थान का दौरा करेगा और साइट को देखेगा कि क्या उपकरण स्थापित किया जाना है और अपनी सलाह दे सकता है और साइट की तैयारी और अन्य पूर्व-स्थापना आवश्यकताओं में संस्थान को सहायता प्रदान कर सकता है।

14.9 **विदेशी मूलधन का विलय/अधिग्रहण:**

किसी अन्य फर्म के साथ विदेशी प्रधान के विलय या विदेशी के अधिग्रहण के मामले में

किसी अन्य फर्म द्वारा प्रिंसिपल, यह अधिग्रहण करने वाली फर्म के विलय के बाद बनाई गई नई इकाई के लिए अनिवार्य होगा, जैसा कि मामला हो सकता है, विदेशी प्रिंसिपल और नई इकाई / अधिग्रहण करने वाली फर्म के सभी कर्तव्यों और दायित्वों / देनदारियों को संभालने के लिए मूल विदेशी प्रधानाचार्य के साथ-साथ भारतीय एजेंट की ओर से की गई भूल-चूक के सभी कृत्यों के लिए स्वतः ही उत्तरदायी होगा।

14.10 **भारतीय एजेंट का परिवर्तन:**

यदि विदेशी प्रधान भारतीय एजेंट में बदल जाता है, तो विदेशी प्रधान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह नए भारतीय एजेंट को सभी कर्तव्यों और दायित्वों को स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दे, जिसमें विफल होने पर विदेशी प्रधान स्वयं ही कमीशन या चूक के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। / न्यू इंडियन एजेंट का हिस्सा।

14.11 **सेवा नियमावली / सर्किट आरेख**

यह विशेष रूप से आवश्यक है कि बोलीदाता उपकरण के साथ सभी ऑपरेटिंग और सर्विस मैनुअल और सर्किट डायग्राम की आपूर्ति करेंगे।

14.12 गारंटी / वारंटी :

फर्म को किसी भी निर्माण, कारीगरी और घटकों की खराब गुणवत्ता के खिलाफ संतोषजनक स्थापना / उपकरणों की कमीशनिंग की तारीख से (___) वर्ष (___ वर्ष) के लिए वारंटी प्रदान करनी होगी और निविदाकर्ता पत्र पर गारंटी / वारंटी घोषणा भी देगा। अनुबंध-IV के रूप में निविदा के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में शीर्षक। यदि, आइटम उपकरण के विनिर्देश के अनुसार वारंटी में कोई भिन्नता है, तो विनिर्देशों में निर्दिष्ट वारंटी अंतिम होगी। यदि आपूर्तिकर्ता वारंटी/गारंटी अवधि के दौरान उपकरण की मरम्मत/या सुधार करने में विफल रहता है, तो संस्थान उपकरण की मरम्मत के लिए किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी को नियुक्त कर सकता है या भुगतान कर सकता है, और इस तरह के सभी नुकसान, हानि और व्यय आपूर्तिकर्ता से वसूल किए जाएंगे।

14.13 उद्गम देश:

आयातित वस्तु के मामले में प्रस्ताव में उद्भूत वस्तु के मूल देश का उल्लेख किया जाना चाहिए।

14.14 अखंडता का कोड:

अधिप्राप्ति संस्था का कोई भी अधिकारी या बोलीदाता उन संहिताओं के उल्लंघन में कार्य नहीं करेगा जिनमें शामिल हैं:

(i) का निषेध

- खरीद प्रक्रिया में किसी अनुचित लाभ के बदले में या अन्यथा खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या उपहार या किसी भौतिक लाभ की पेशकश, याचना या स्वीकार करना।
- कोई चूक, या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने का प्रयास कर सकती है ताकि वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके या दायित्व से बचा जा सके।
- कोई मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और खरीद प्रक्रिया की प्रगति को प्रभावित कर सकता है।
- खरीद प्रक्रिया में या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से खरीद इकाई द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
- निविदा या अनुबंध की निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित बोलीदाता और खरीद इकाई के किसी भी अधिकारी के बीच कोई वित्तीय या व्यावसायिक लेनदेन; जो उपापन इकाई के निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।
- खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की कोई भी धमकी।
- खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिट में बाधा।
- किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना;

(ii) हितों के टकराव का खुलासा।

(iii) उप-खंड के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन के बोलीदाता द्वारा प्रकटीकरण

- पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी देश में किसी भी संस्था के साथ या किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित किया जाना।

14.15 क्षतिपूर्ति : पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि से संबंधित किसी भी कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, विक्रेता सभी दावों, नुकसान, लागत, नुकसान, खर्च, कार्यवाई सूट और अन्य कार्यवाही के खिलाफ आईआईटी जोधपुर की क्षतिपूर्ति, सुरक्षा और बचाव करेगा। या उसके द्वारा आपूर्ति की गई सभी सामग्रियों के संबंध में ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघन।

14.16 बीमा: आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों का विक्रेता द्वारा शिपमेंट की तारीख से लेकर IIT जोधपुर साइट पर डिलीवरी होने तक नुकसान या क्षति के सभी जोखिमों के लिए बीमा किया जाएगा।

- 14.17 **सेवा सुविधा:** बोलीदाता को भारत में स्थापित सेवा के बारे में उल्लेख करना चाहिए और बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने में वे कितने सक्षम हैं।
- 14.18 **बैंकर का विवरण:** आपकी कंपनी के बैंकर के नाम और पते का उल्लेख किया जाना चाहिए (*अनुबंध-VI*)।
- 14.19 **आपूर्ति का संदर्भ:**
आईआईटी/आईआईआईटी/एनआईटी/आईआईएसआईआर/सीएसआईआर/आईआईएससी, आदि) के नाम और संपर्क विवरण जहां भारत में उद्धृत उपकरण स्थापित किए गए हैं, संलग्न किया जाना चाहिए। कम से कम तीन क्रय आदेशों की प्रतियां संलग्न की जा सकती हैं। IIT जोधपुर किसी भी सूचीबद्ध संस्थान में उपकरण के वास्तविक प्रदर्शन के लिए निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 14.20 **नियमों और शर्तों की स्वीकृति:**
बोलीदाताओं को इस NIO के सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करनी चाहिए। नियमों और शर्तों से किसी भी गैर-स्वीकृति या विचलन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। हालांकि, निविदाकर्ताओं को सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिए कि इस एनआईक्यू के नियमों और शर्तों से कोई भी सशर्त प्रस्ताव या कोई विचलन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी कोटेशन प्रस्तुत कर सकता है। IITJ किसी भी निविदा में सबसे कम को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
नोट: निदेशक, आईआईटी जोधपुर किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने और अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 14.21 **अप्रत्याशित घटना:**
आपूर्तिकर्ता अपनी प्रदर्शन सुरक्षा को जब्त करने, 10 नुकसानों को समाप्त करने या डिफॉल्ट के लिए समाप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि और इस हद तक कि अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रदर्शन में देरी या अन्य विफलता बल की घटना का परिणाम है अप्रत्याशित घटना।
● इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से परे एक घटना है और इसमें आपूर्तिकर्ता की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह की घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, क्रेता की अपनी संप्रभु या संविदात्मक क्षमता, युद्ध या क्रांति, आग, बाढ़, महामारी, संगरोध प्रतिबंध और माल ढुलाई में कार्य करता है।
● यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपूर्तिकर्ता ऐसी स्थितियों और उसके कारणों के बारे में क्रेता को तुरंत लिखित रूप में सूचित करेगा। जब तक क्रेता द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, तब तक आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निभाना जारी रखेगा जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक है, और प्रदर्शन के लिए सभी उचित वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा जो अप्रत्याशित घटना से नहीं रोका गया हो।
- 14.22 **मध्यस्थता और कानून:**
निविदा की शर्तों/आदेश और अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद के मामले में, संस्थान और आपूर्तिकर्ता आपसी समाधान के लिए विवाद/मतभेद को संबोधित करेंगे और विफल होने पर, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। संस्थान द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एकमात्र मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी और मध्यस्थता का स्थान जोधपुर में ही होगा। मध्यस्थ का संकल्प अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
- 14.23 **क्षेत्राधिकार:**
इस निविदा/संविदा से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच किसी भी मामले, विवाद या संदर्भ की सुनवाई करने का अधिकार केवल जोधपुर के न्यायालयों को होगा। इस बात पर विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि इस मामले में जोधपुर न्यायालय के अलावा अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।
- 14.24 **बयाना राशि जमा (ईएमडी):** बोलीदाता बैंक के रूप में निदेशक, आईआईटी जोधपुर के पक्ष में _____ रुपये (केवल _____ रुपये) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) जमा करने की रसीद की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करेगा। निदेशक, आईआईटी जोधपुर के नाम से अनुसूचित बैंक की गारंटी, सावधि जमा या डिमांड ड्राफ्ट, निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए वैध। ईएमडी के ऑनलाइन भुगतान के लिए, कृपया <https://oa.iitj.ac.in/ePay> लिंक का अनुसरण करें/क्लिक करें। ईएमडी बिना ब्याज के रिफंडेबल होगी। बोलीदाता अर्नेस्ट मनी जमा करने की रसीद की स्कैन कॉपी अपलोड करेगा। हालांकि, GFR के नियम 170 के अनुसार उपरोक्त के अलावा --- "सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSME) जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (MSME) द्वारा जारी MSE खरीद नीति में परिभाषित किया गया है" को EMD जमा करने से छूट दी गई है (बोली सुरक्षा), लेकिन फर्म को ईएमडी में छूट के लिए वैध एमएसएमई पंजीकरण दस्तावेज जमा करने होंगे।

14.25 पंजीकरण की आवश्यकता

- I. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने का तभी पात्र होगा जब बोली लगाने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो।
- II. "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'परामर्शदाता' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य शामिल है (जो कई व्यक्तियों का एक संघ है, या फर्म या कंपनियाँ), खरीद प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी एजेंसी शाखा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कार्यालय सहित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आने वाला प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति।
- III. इस आदेश के प्रयोजन के लिए "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोली लगाने वाले" का अर्थ है: -
 - a. ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
 - b. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत किसी इकाई की सहायक कंपनी; या
 - c. ऐसे देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
 - d. एक संस्था जिसका लाभार्थी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या
 - e. ऐसे देश का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - f. प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
 - g. एक कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम जहां कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।
- IV. उपरोक्त (iii) के प्रयोजन के लिए लाभार्थी स्वामी निम्नानुसार होगा:
 1. किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसके पास नियंत्रित स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण करता है।

व्याख्या-----

 - a. "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयरों या पूंजी या लाभ का स्वामित्व या हकदारी;
 - b. "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं;
 2. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ काम कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक के लिए हकदारी का स्वामित्व रखता है;
 3. एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहा है, पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी है ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ;
 4. जहां ऊपर (1) या (2) या (3) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, लाभार्थी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है;
 5. एक ट्रस्ट के मामले में, लाभार्थी स्वामी(यों) की पहचान में ट्रस्ट के लेखक, ट्रस्टी, ट्रस्ट में पंद्रह प्रतिशत या अधिक रुचि वाले लाभार्थियों और ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी। नियंत्रण या स्वामित्व की एक श्रृंखला के माध्यम से।
- V. एक एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे किसी दूसरे के लिए कोई कार्य करने के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

निविदाओं के लिए प्रमाण पत्र

“मैंने भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध के बारे में खंड पढ़ा है; मैं प्रमाणित करता हूं कि यह बोली लगाने वाला ऐसे देश से नहीं है या यदि वह ऐसे देश से है, सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है। मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीदाता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है।”

तकनीकी अनुपालन शीट

	विशेषताएं	विनिर्देश का विशेषताएं	अनुपालन (हाँ/नहीं)
तकनीकी विशेष विवरण – ()			
1			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11			
12.			
13.			

तकनीकी विशेषताओं के साथ उद्धृत मॉडल का विवरण जिसके लिए उद्धृत किया गया है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। घोषणा: मैंने अपने दावों के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ भी संलग्न किए हैं, (उपर्युक्त के रूप में) निम्नलिखित पृष्ठों में।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर

नाम: _____

पद: _____

संगठन का नाम: _____

संपर्क नंबर: _____

निर्माता के प्राधिकरण के लिए एजेंट को पत्र का प्रारूप (लेटर हेड पर)

संदर्भ सं.

दिनांक:

सेवा,
निर्देशक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर
एनएच-62, नागौर रोड, कारवार, जोधपुर-342037।

विषय: प्राधिकरण पत्र।

प्रिय महोदय,

हम, _____, जो _____ के स्थापित और प्रतिष्ठित निर्माता हैं, जिनकी _____ में फैक्ट्री है, इसके द्वारा M/s. _____ (भारतीय वितरक / एजेंट का नाम और पता) को बोली लगाने और हमारे द्वारा निर्मित उपरोक्त सामानों के लिए आपके साथ ऑर्डर पूरा करने के लिए अधिकृत करते हैं।

उक्त द्वारा निविदा/संविदा/करार के लिए हम जिम्मेदार रहेंगे
एमएस। _____, संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से।

हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हम वारंटी अवधि के दौरान, हमारे द्वारा निर्मित आपूर्ति किए गए सामानों के उन्नयन/रखरखाव/मरम्मत/सेवा के लिए प्रौद्योगिकी/उत्पाद अपडेट के साथ नियमित आधार पर मैसर्स _____ को भी समर्थन/सुविधा प्रदान करेंगे।

यदि भारतीय एजेंट/वितरक के कर्तव्यों को बदल दिया जाता है या एजेंट/वितरक को बदल दिया जाता है तो यह हमारे लिए अनिवार्य होगा कि हम सभी कर्तव्यों और दायित्वों को स्वचालित रूप से नए में स्थानांतरित कर दें।

भारतीय एजेंट विफल होने पर हम नए भारतीय एजेंट/वितरक की ओर से कमीशन या चूक के सभी कार्यों के लिए स्वतः ही उत्तरदायी हो जाएंगे।

आपका विश्वासी,

[नाम और हस्ताक्षर]

मैसर्स के लिए और उनकी ओर से। _____ [निर्माता का नाम]

नोट: प्राधिकरण का यह पत्र विनिर्माण चिंता के लेटरहेड पर होना चाहिए और एक सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और निर्माता को बाध्य करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी होनी चाहिए। नोटरी पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। केवल निर्माता (ओं) या उनके एकमात्र अधिकृत वितरक / एजेंट ही बोली लगाने के पात्र हैं। इस निविदा के खिलाफ बोली लगाने / आदेश समाप्त करने के लिए अधिकृत एजेंट के पक्ष में मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) से निर्धारित प्रारूप (*अनुबंध- II*) में प्राधिकरण पत्र तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

घोषणा पत्र

हम, _____ एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस निविदा विनिर्देश के संबंध में हमारे संगठन द्वारा प्रस्तुत सभी जानकारी और डेटा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैंने विनिर्देशों, शर्तों और अनुबंधों को विस्तार से पढ़ लिया है और मैं विनिर्देशों की आवश्यकताओं और मंशा का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे संगठन को निविदा में भाग लेने के लिए ओईएम द्वारा अधिकृत किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। हम आगे प्रमाणित करते हैं कि हमारा संगठन इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंड की सभी शर्तों को पूरा करता है। इसके अलावा, ओईएम प्रौद्योगिकी/उत्पाद अपडेट के साथ नियमित आधार पर समर्थन देने और वारंटी के लिए समर्थन बढ़ाने पर सहमत हो गया है।

वित्तीय बोलियों में उद्धृत मूल्य आईआईटी जोधपुर द्वारा दी गई शैक्षणिक छूट के कारण अनुदानित हैं।

हम, आगे विशेष रूप से प्रमाणित करते हैं कि हमारे संगठन को किसी भी संस्थागत एजेंसी/सरकार द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्टेड/डी लिस्टेड या कोई छुट्टी नहीं दी गई है। पिछले तीन वर्षों में विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और यह कि सीबीआई/ईडी/किसी अन्य सरकार द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है। एजेंसी फर्म के खिलाफ	विक्रेता/निर्माता/एजेंट का नाम और पता
1 फोन	
2 फैक्स	
3 ई-मेल	
4 संपर्क व्यक्ति का नाम	
5 मोबाइल नंबर	
6 जीएसटी नंबर	
7 कृपया निम्नलिखित प्रारूप में बोली लगाने वाले का बैंक विवरण प्रदान करें: ए) बैंक का नाम	
बी) खाता संख्या	
c) असफल बोलीदाता को ईएमडी वापस करने में सक्षम बनाने के लिए कृपया एक चेक बुक पेज की स्कैन कॉपी संलग्न करें	

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

कंपनी की मुहर

गारंटी/वारंटी का प्रमाणपत्र (लेटर हेड पर)

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि गारंटी/वारंटी _____ (_____) वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जो कि संतोषजनक स्थापना, चालू होने और उपकरणों को सौंपने और अनुबंध के तहत पूरा किए गए कार्य की तारीख से शुरू होगी। गारंटी / वारंटी अवधि के दौरान, मैं / हम "बिक्री के बाद सेवा" प्रदान करेंगे और उपकरण के दोषपूर्ण / या किसी भी भाग (ओं) को बदलने या उपकरण के काम के दोषों को सुधारने के लिए निः शुल्क होगा। भागों के प्रतिस्थापन की व्यवस्था हमारे द्वारा, हमारे अपने खर्च और जिम्मेदारी पर की जाएगी। हम वचन देते हैं कि उपरोक्त गारंटी/वारंटी केवल सफल इंस्टालेशन की तारीख से शुरू होगी। गारंटी/वारंटी अवधि की तिथियों में परिवर्तन का लाभ उपयोगकर्ता/आपके संगठन के हित में होगा।

मैं/हम संस्थान परिसर में उपकरणों की मरम्मत करने का प्रयास करेंगे। तथापि, यदि संस्थान परिसर में उपकरणों की मरम्मत करना संभव नहीं है, तो हम अपने खर्च पर उपकरण को अपनी साइट पर ले जाएंगे। हम मरम्मत के लिए निकाले गए उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा और परिवहन की पूरी जिम्मेदारी तब तक लेंगे जब तक कि उपकरण मरम्मत के बाद संस्थान में वापस नहीं आ जाते। यदि हमारी अभिरक्षा के दौरान उपकरणों का कोई नुकसान होता है, तो हम उसे बहाल कर देंगे/इस तरह के नुकसान के लिए संस्थान को मुआवजा देंगे।

मैं/हम गारंटी देते हैं कि यदि हम निर्धारित अवधि के भीतर रखरखाव कार्य करने में विफल रहते हैं, तो संस्थान हमें सूचित करने के बाद हमारे जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर रखरखाव कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उसका व्यय परिस्थितियों के अनुसार हमसे ब्याज सहित/बिना ब्याज के वसूल किया जा सकेगा।

मैं/हम हर बड़ी मरम्मत/ब्रेकडाउन/उपकरण को संस्थान परिसर से मरम्मत के लिए बाहर ले जाने के बाद अंशांकन करने का वचन देते हैं। मैं/हम गारंटी देता हूँ/देते हैं कि सहमति के आधार पर जब और जब आवश्यकता होगी, हम सहमत मूल्य के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करेंगे। सहमत आधार प्रकाशित सूची मूल्य पर सहमत छूट हो सकता है।

मैं/हम इस आशय की गारंटी देते हैं कि स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन से बाहर जाने से पहले, हम संस्थान को पर्याप्त अग्रिम नोटिस देंगे ताकि संस्थान स्पेयर पार्ट्स की लाइफ टाइम आवश्यकताओं की शेष राशि की खरीद का कार्य कर सके।

सरकार की सूची। संगठन/विभाग।

उन सरकारी संगठनों की सूची जिनके लिए बोलीदाता ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कार्य किया है (कार्य आदेश के साथ समर्थित होना चाहिए)		
संस्था का नाम	संपर्क व्यक्ति का नाम	संपर्क नंबर।

आवेदन विशेषज्ञ / सेवा अभियंता का नाम जिनके पास वारंटी अवधि के दौरान उद्भूत उत्पाद को संभालने और समर्थन करने की तकनीकी क्षमता है।		
संस्था का नाम	संपर्क व्यक्ति का नाम	संपर्क नंबर।

पिछले 3 वर्षों के दौरान आईआईटी/आईआईएसईआर/सीएसआईआर/आईआईएससी में ओईएम/अधिकृत वितरक/एजेंट को कम से कम इसी तरह के कम से कम 3 ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे करने चाहिए। तकनीकी बोली के साथ क्रय आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर

नाम: _____

पद: _____

संगठन का नाम: _____

संपर्क नंबर। : _____

सेवा
निर्देशक
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर
एनएच 62 नागौर रोड कारवार 342037

1. पार्टी/फर्म/कंपनी/संस्थान का नाम:

2. पार्टी का पता:

शहर _____ पिन कोड _____
ई-मेल आईडी _____ मोबाइल नंबर: _____
स्थायी खाता संख्या _____

3. बैंक का विवरण:

बैंक का नाम:		शाखा का नाम:	
शाखा स्थान:		शाखा शहर:	
पिन कोड:		शाखा क्रमांक:	
एमआईसीआर संख्या:			

(बैंक द्वारा प्रदान किए गए चेक के एमआईसीआर बैंक पर दिखाई देने वाली 9 अंकों की संख्या, कृपया बैंक के नाम, शाखा के नाम और कोड संख्या की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए अपने बैंक के चेक की ज़ेरोक्स प्रति संलग्न करें)

आईएफएस कोड: (11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड)																					
खाते का प्रकार					व्यक्ति					मौजूदा					कैश क्रेडिट						
खाता संख्या:																					

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण कोई लेन-देन विलंबित होता है और प्रभावित नहीं होता है तो मैं निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। मैं एनईएफटी/आरटीजीएस अंतरण के माध्यम से राशि जमा करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड को अद्यतन करने की सुविधा के लिए अपने खाते के विवरण में किसी भी बदलाव की सलाह देने का भी वचन देता हूँ।

स्थान:

तारीख:

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं
बैंकर्स स्टाम्प:

तारीख: _____

बैंक से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

एनबी: कृपया बड़े अक्षरों में जानकारी भरें, कंप्यूटर टाइप करें; कृपया जहां भी लागू हो टिक करें।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर अनुपालन पत्रक (पीडीएफ में जमा किया जाना है)			
महत्वपूर्ण लेख इस विवरण को विधिवत भरा जाना चाहिए और कोटेशन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इस विवरण की गैर-प्राप्ति या प्रदान किए गए अधूरे विवरण से निविदा की अस्वीकृति हो जाएगी।			
निविदा पूछताछ संख्या:			
क्र.सं.	वाणिज्यिक पहलू	आईआईटीजे शर्तें	विक्रेता की प्रतिक्रिया
1.	वितरण की शर्तें	FOR IIT Jodhpur	
2.	अदायगी की शर्तें	भुगतान अवधि का विवरण बिंदु संख्या में उल्लिखित है। 14.4	
3.	भुगतान का प्रकार	मांग मसौदा	
4.	भुगतान करने के लिए बैंक विवरण	परिबद्ध होना	
5.	उद्धरण की वैधता	निविदा खोलने की तारीख से 90 दिन	
6.	निर्माता का नाम	निर्माता का नाम और पूरा पता	
7.	मुद्रा जिसमें उद्धृत किया गया है	बहु मुद्रा	
8.	प्रसव अवधि		
9.	ढेरों की संख्या	01 लॉट	
10.	स्थापना / आपूर्ति	आईआईटी जोधपुर, कारवार	
12.	गारंटी		
13.	ईएमडी	रु.	
14.	परिनिर्धारित हर्जाना (अनिवार्य आवश्यकता, यदि स्वीकार नहीं किया गया तो कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा)	(विलंबित अवधि के लिए करों को छोड़कर प्रति दिन का 0.5% अधिकतम अनुबंध मूल्य का 5% तक)	
15.	लगाने का आदेश दिया	आपूर्तिकर्ता के संपर्क विवरण के साथ पूरा पता	
16.	सीमा शुल्क शुल्क प्रतिशत लागू और सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र (सीडीईसी) की आवश्यकता।	लागू सीमा शुल्क का प्रतिशत निर्दिष्ट किया जाना चाहिए भले ही सीडीईसी डीआरएल द्वारा जारी किया जाना हो (कस्टम्स अधिसूचना संख्या 51/96 के तहत जहां भी लागू हो)। कोई तृतीय पक्ष सीडीईसी प्रदान नहीं किया जाएगा	
17.	सरकार के अनुसार लागू जीएसटी। नियम	GST% अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए	
18.	फर्म का नाम और पता:		
19.	निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों को संख्यात्मक रूप से क्रमांकित किया जाना है (उदाहरण के लिए 1,2,3...)		
20.	अनुपालन (कोई एक चुनें)	हम एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों/निर्देशों को स्वीकार करते हैं। या हम एतद्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों/अनुदेशों को स्वीकार करते हैं सिवाय एक अलग शीट में उल्लिखित (अलग शीट में गैर-अनुपालन शर्तों का उल्लेख करें)	

21.	फर्म की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम:		
-----	--	--	--

सामग्री के बिल (बीओएम) के साथ तकनीकी मुद्रित साहित्य के साथ माल के तकनीकी विनिर्देश की हस्ताक्षरित और मुहर लगी अनुपालन शीट, सभी नियमों और शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए, तकनीकी बोली (अनुलग्नक-VII) के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

सत्यनिष्ठा संधि

सेवा,

.....,

.....,

.....

विषय: निविदा संख्या। की आपूर्ति के लिए

प्रिय महोदय,

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता के सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विषय निविदा इस शर्त पर किए गए प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है कि बोलीदाता अखंडता समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, जो निविदा/बोली दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, जिसके विफल होने पर निविदाकर्ता/बोली लगाने वाले को निविदा प्रक्रिया और बोली की बोली से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोली लगाने वाले को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

यह घोषणा करेगा प्रपत्र अंश और पार्सल का ईमानदारी समझौता और हस्ताक्षर करने के का वैसा ही करेगा होना की ओर से सत्यनिष्ठा समझौते की स्वीकृति और हस्ताक्षर के रूप में समझा जाता है आईआईटी जोधपुर।

आपका विश्वासी,

प्राधिकृत अधिकारी, आईआईटी जोधपुर

सेवा

अधिकृत अधिकारी

आईआईटी जोधपुर

विषय: आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत करना का _____

प्रिय महोदय / महोदया,

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि आईआईटी जोधपुर निविदा/बोली दस्तावेज के साथ संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं/हम सहमत हैं कि उद्धृत निविदा इस शर्त पर की गई पेशकश का निमंत्रण है कि मैं/हम संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो निविदा दस्तावेजों का एक अभिन्न अंग है, जिसके विफल होने पर मैं/हम निविदा प्रक्रिया से अयोग्य हो जाएंगे। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि बोली लगाने पर विचार किया जाएगा जैसा एक बिना शर्त और शुद्ध स्वीकार का यह स्थिति का निविदा।

मैं/हम अक्षरशः सत्यनिष्ठा समझौते की स्वीकृति और अनुपालन की पुष्टि करते हैं और आगे सहमत हैं कि उक्त सत्यनिष्ठा समझौते का निष्पादन मुख्य अनुबंध से अलग और अलग होगा, जो तब अस्तित्व में आएगा जब आईआईटी जोधपुर द्वारा निविदा/बोली को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं/हम सत्यनिष्ठा समझौते की अवधि को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं, जो संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते के अनुच्छेद-1 के अनुरूप होगा।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि निविदा/बोली प्रस्तुत करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने और स्वीकार करने में मेरी/हमारी विफलता की स्थिति में, आईआईटी जोधपुर के पास निविदाकर्ता/बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने और निविदा/बोली को अस्वीकार करने का अयोग्य, पूर्ण और अबाध अधिकार होगा। निविदा/बोली के नियम एवं शर्तों के अनुसार है।

आपका विश्वासी,

(निविदाकर्ता / बोली लगाने वाले के विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

आईआईटी जोधपुर की ओर से संबंधित अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बोलीदाता और उसी हस्ताक्षरकर्ता सक्षम / अधिकृत द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं

अखंडता समझौता

यह इंटिग्रेटी एग्रीमेंट को 20.. को किया गया है। .

के बीच

निर्देशक आईआईटी जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया के माध्यम से अधिकार दिया गया अधिकारी, आईआईटी जोधपुर (इसके बाद 'प्रिंसिपल/ओनर' के रूप में संदर्भित , जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी और अनुमत शामिल हैं असाइन करता है)

और

.....

(व्यक्ति/फर्म/कंपनी का नाम और पता)

के माध्यम से(यहाँ-में-बाद में कहा गया है

(विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण)

"बोलीदाता/ठेकेदार" और कौन सी अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती)

प्रस्तावना

जबकि प्रधानाचार्य/मालिक ने निविदा जारी की है (संख्या.....) (इसके बाद "निविदा/बोली" के रूप में संदर्भित) और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत, के लिए अनुबंध प्रदान करने का इरादा रखता है

.....

(कार्य का नाम)

यहाँ-बाद में "अनुबंध" के रूप में जाना जाता है।

और जबकि प्रधान/मालिक भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और अपने बोलीदाता(ओं) और ठेकेदार(ओं) के साथ अपने संबंध में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है।

और जबकि पूर्वोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए हैं (बाद में निर्दिष्ट को जैसा "ईमानदारी समझौता" या "पैक्ट"), शर्तें और स्थितियाँ का कौन सा करेगा ऐसा भी पढ़ना जैसा अभिन्न अंश और पार्सल का निविदा/बोली दस्तावेजों और अनुबंध के बीच दलों।

अभी, इसलिए, में सोच-विचार का आपस का वाचाएं निहित में यह संधि, दलों इसके द्वारा इस बात से सहमत निम्नानुसार है और यह समझौता इस बात का साक्षी है अंतर्गत:

अनुच्छेद 1: प्रधानाचार्य / मालिक की प्रतिबद्धता

- 1) प्रधानाचार्य / मालिक प्रतिबद्ध अपने आप को लेना सब पैमाने जरूरी को रोकना भ्रष्टाचार और निम्नलिखित का पालन करने के लिए सिद्धांतों:
 - (a) कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, निविदा के संबंध में, या अनुबंध के निष्पादन के लिए, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री की मांग, वचन नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा। या अभौतिक लाभ जिसका वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है को।
 - (b) प्रिंसिपल/मालिक, निविदा प्रक्रिया के दौरान, सभी बोली लगाने वालों के साथ समानता और उचित व्यवहार करेंगे। प्रधान/स्वामी, विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोली लगाने वाले को गोपनीय/अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा, जिसके माध्यम से बोलीदाता प्राप्त कर सके। निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के संबंध में लाभक्रियान्वयन।
 - (c) प्रधान अध्यापक/स्वामी करेगा प्रयास को निकालना से निविदा प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति, जिसका आचरण पूर्व में पक्षपातपूर्ण रहा हो प्रकृति।
- 2) यदि प्रिंसिपल/मालिक अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी अधिनियम) के तहत एक आपराधिक अपराध है या इसमें वर्णित सिद्धांतों का उल्लंघन है या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह होने पर प्रधानाचार्य/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और इसके अलावा अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाई भी शुरू कर सकते हैं।

लेख 2: बोलीदाता(ओं) / ठेकेदार(ओं) की प्रतिबद्धता

- 1) यह आवश्यक है कि प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों सहित) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और सरकार/विभाग को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कार्यों की रिपोर्ट करें, जिसके बारे में उसे जानकारी है या हो जाता है। जानते हैं, निविदा प्रक्रिया के दौरान और अनुबंध की बातचीत या पुरस्कार के दौरान।
- 2) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करते हैं। वह निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और अनुबंध के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है क्रियान्वयन:
 - a) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल किसी भी प्रिंसिपल/मालिक के कर्मचारियों को या किसी तीसरे व्यक्ति को प्रस्ताव, वादा या नहीं देंगे। निविदा प्रक्रिया के दौरान या निविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए कोई भी सामग्री या अन्य लाभ जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है। अनुबंध।
 - b) बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(ओं) अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी अज्ञात समझौते में प्रवेश नहीं करेंगे या समझदार, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक। यह इसपर लागू होता है में विशेष रूप से कीमतों के लिए, विशेष विवरण, प्रमाणपत्र, सहायक ठेके, प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टेलाइज करने के लिए बोलियों का गैर-प्रस्तुतीकरण या कोई अन्य कार्यवाई।
 - c) बोली लगाने वाले / ठेकेदार मर्जी नहीं वादा करना कोई भी अपराध अंतर्गत से मिलता जुलता आईपीसी/पीसी कार्य। इसके अलावा, बोलीदाता(ओं)/अनुबंध(ओं) अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए), या व्यापार संबंध के हिस्से के रूप में प्रिंसिपल/मालिक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेजों को दूसरों को नहीं देंगे। निहित या प्रेषित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से।

- d) विदेशी मूल के बोलीकर्ता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा, यदि कोई हो। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रियता के बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को विदेशी एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, के नाम और पते का खुलासा करना होगा। या भारतीय प्रतिनिधि पर की ओर से का विदेशी प्रधान अध्यापक या विदेशी प्रधान अध्यापक सीधे सकता है बोली में एक निविदा लेकिन नहीं दोनों। आगे, में मामलों कहाँ पे एक प्रतिनिधि भाग लेना में एक एक निर्माता की ओर से निविदा, उसे उसी के लिए बाद में / समानांतर निविदा में पहले निर्माता के साथ किसी अन्य निर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वस्तु।
- e) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक निविदा के साथ) किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करना होगा, जो उसने किया है, प्रतिबद्ध है या इरादा रखता है। अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को बनाने के लिए।
- 3) बोली लगाने वाले / ठेकेदार मर्जी नहीं भड़काना तीसरा व्यक्तियों को वादा करना अपराधों उल्लिखित ऊपर या ऐसे के लिए एक सहायक हो अपराध।
- 4) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से कपटपूर्ण व्यवहार में लिप्त नहीं होंगे, जिसका अर्थ है जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों की चूक या नकली/जाली दस्तावेजों को जमा करना ताकि सार्वजनिक अधिकारी को भरोसे के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। दूसरों के न्यायसंगत हित को नुकसान पहुँचाकर या अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से और /या सरकार की हानि के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से रूचियाँ।
- 5) बोली लगाने वाले / ठेकेदार मर्जी नहीं, सीधे या के माध्यम से कोई भी अन्य व्यक्ति या दृढ़ उपयोग जबरदस्ती की प्रथाएं (साधन कार्य का प्राप्त करने के कोई चीज, सम्मोहक एक कार्य या को प्रभावित एक संभावित या वास्तविक चोट लगने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी, धमकी या बल के उपयोग के माध्यम से निर्णय मई घटित होना ऊपर एक व्यक्ति, उसके / उसका प्रतिष्ठा या संपत्ति को प्रभाव उनका निविदा में भागीदारी प्रक्रिया)।

अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम

- 1) किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कानून या अनुबंध के तहत प्रिंसिपल/मालिक को उपलब्ध हो सकता है या इसका स्थापित नीतियों और लिटा देना नीचे प्रक्रियाएं, प्रधान अध्यापक / स्वामी करेगा पास होना बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) और बोली लगाने वाले द्वारा इस सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के मामले में निम्नलिखित अधिकार / ठेकेदार स्वीकार और चलाती को मान सम्मान और बनाए रखने प्रधान अध्यापक / मालिक का पूर्ण अधिकार:
- 2) यदि बोलीदाता (एस) / ठेकेदार, या इससे पहले पुरस्कार या दौरान क्रियान्वयन का अनुबंध है उपरोक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में उल्लंघन किया है, जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता को प्रश्न में डालने के लिए, ठेकेदार को 14 दिनों का नोटिस देने के बाद प्रिंसिपल/मालिक करेगा पास होना शक्तियों को अयोग्य ठहराना बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) से निविदा प्रक्रिया या समाप्त/निर्धारित करें अनुबंध, अगर पहले से ही निष्पादित या निकालना बोली लगाने वाला/ठेकेदार से भविष्य अनुबंध पुरस्कार प्रक्रियाओं। बहिष्करण का आरोपण और अवधि उल्लंघन की गंभीरता द्वारा निर्धारित की जाएगी और प्रिंसिपल/मालिक द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस तरह का बहिष्करण हमेशा के लिए या सीमित अवधि के लिए हो सकता है जैसा कि द्वारा तय किया गया है प्रधानाचार्य / मालिक।
- 3) निष्पादन गारंटी की जब्ती:
यदि प्रिंसिपल/स्वामी ने अनुबंध प्रदान करने से पहले निविदा प्रक्रिया से बोली लगाने वालों को अयोग्य घोषित कर दिया है या अनुबंध को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार अनुबंध को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो प्रिंसिपल /मालिक किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, जो प्रिंसिपल/मालिक को प्राप्त हो सकता है, अपनी सुविचारित राय में बयाना जमा राशि की पूरी राशि, बोलीदाता/ठेकेदार की प्रदर्शन गारंटी को जब्त कर सकता है।
- 4) आपराधिक दायित्व: यदि प्रिंसिपल/मालिक को किसी बोलीदाता या ठेकेदार, या किसी कर्मचारी या किसी बोलीदाता या ठेकेदार के प्रतिनिधि या सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/भ्रष्टाचार की रोकथाम के अर्थ में भ्रष्टाचार का गठन करता है अधिनियम, या यदि प्रिंसिपल/मालिक को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो प्रिंसिपल/मालिक आगे की जांच के लिए कानून लागू करने वाली

एजेंसियों को इसकी सूचना देंगे।

अनुच्छेद 4: पिछला अपराध

- 1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण की पुष्टि करने या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी भी अन्य केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ कोई पिछला उल्लंघन नहीं हुआ है, जो उसके बहिष्करण को न्यायोचित ठहरा सके। निविदाप्रक्रिया।
- 2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या बोलीदाता/ठेकेदार की व्यवसायिक डीलिंग/अवकाश सूची पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है जैसा कि प्रिंसिपल/ठेकेदार द्वारा उचित समझा जाता है। स्वामी।
- 3) यदि बोलीदाता/ठेकेदार यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा किए गए नुकसान का सहारा लिया है/प्रतिपूर्ति की है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित की है, तो प्रिंसिपल/मालिक अपने विवेक से, बहिष्करण को रद्द कर सकते हैं। समय से पहले।

लेख 5: बराबर इलाज का सब बोली लगाने वाले/ठेकेदार/उपठेकेदार

- 1) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) ने सभी उपठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा संधि के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने का वचन दिया है। बोलीदाता/संविदाकार इस समझौते/संधि में निर्धारित सिद्धांतों के किसी भी उल्लंघन के लिए उसके किसी भी उप-समूह द्वारा जिम्मेदार होगा। ठेकेदारों / उप-विक्रेताओं।
- 2) सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर समझौता करेंगे।
- 3) प्रधान अध्यापक / स्वामी मर्जी अयोग्य ठहराना बोली लगाने वाले, कौन करना नहीं प्रस्तुत, विधिवत पर हस्ताक्षर किए संधि बीच प्रधानाचार्य / मालिक और बोली लगाने वाला, साथ में साथ निविदा या का उल्लंघन इसका प्रावधानों पर कोई भी निविदा प्रक्रिया का चरण, निविदा से प्रक्रिया।

अनुच्छेद 6- संधि की अवधि

यह समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर कर दिए हों। यह विक्रेता/निविदाकर्ता के लिए अनुबंध के तहत वारंटी अवधि के पूरा होने के 12 महीने बाद या दोष दायित्व अवधि के जारी रहने तक, जो भी अधिक हो और अन्य सभी बोलीदाताओं/निविदाकर्ताओं के लिए, अनुबंध प्रदान किए जाने तक समाप्त हो जाता है।

यदि समय के दौरान कोई दावा किया जाता है/दर्ज किया जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा और ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस संधि के समाप्त होने के बावजूद वैध रहेगा, जब तक कि यह सक्षम प्राधिकारी, आईआईटी जोधपुर द्वारा डिस्चार्ज/निर्धारित नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 7- अन्य प्रावधान

- 1) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है, प्रदर्शन का स्थान और अधिकार क्षेत्र प्रिंसिपल / मालिक के डिवीजन का मुख्यालय है, जिसने जारी किया है निविदा।
- 2) परिवर्तन और पूरक किए जाने की आवश्यकता है। पक्ष समझौते नहीं किया गया है बनाया गया।
- 3) यदि ठेकेदार है एक साझेदारी या एक संघ, यह संधि जरूर होना पर हस्ताक्षर किए द्वारा सब भागीदारों या सभी भागीदारों और संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा धारण करने वाले एक या अधिक भागीदार द्वारा। में मामला का एक कंपनी, संधि जरूर होना पर हस्ताक्षर किए द्वारा एक प्रतिनिधि विधिवत अधिकार दिया गया बोर्ड के संकल्प द्वारा।
- 4) क्या इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं; इस समझौते का शेष वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों से सहमत होने का प्रयास करेंगी।
- 5) यह सहमत नियम और शर्त है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते / संधि की शर्तों के संबंध में पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद, इस सत्यनिष्ठा समझौते / संधि या व्याख्या के अनुसार मालिक / प्रिंसिपल द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी का विषय

है मध्यस्थता करना।

अनुच्छेद 8 - कानूनी और पूर्व अधिकार

सभी अधिकार और उपचार संबंधित अन्य सभी कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे को ऐसा दलों अंतर्गत अनुबंध और/या कानून और वैसा ही करेगा होना मानना को होना संचयी और नहीं विकल्प को ऐसा कानूनी अधिकार और उपचार पूर्वोक्ता के लिए खातिर का संक्षिप्तता, दोनों दलों इस बात से सहमत कि इस सत्यनिष्ठा समझौते के तहत शामिल किसी भी प्रावधान के संबंध में निविदा/संपर्क दस्तावेजों पर इस सत्यनिष्ठा समझौते की प्राथमिकता होगी संधि।

साक्षी में जिसका दलों पास होना पर हस्ताक्षर किए और निष्पादित यह ईमानदारी संधि पर स्थान और दिनांक निम्नलिखित की उपस्थिति में पहले ऊपर उल्लेख किया गया गवाह:

.....

(उनके लिए और उनकी तरफ से प्रिंसिपल / मालिक)

.....

(बोलीदाता/ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से) गवाह:

1 (हस्ताक्षर, नाम और पता)

2 (हस्ताक्षर, नाम और पता)

स्थान: -

दिनांक: -

(लेटर हेड पर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किया जाए)

टर्नओवर/लाभ का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स (एजेंसी का नाम और पता) उपकरणों/सेवाओं/----- के विनिर्माण/पुनर्विक्रय के व्यवसाय में है। पिछले 03 (तीन) वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उनका टर्नओवर और लाभ नीचे दिया गया है:

वर्ष	टर्नओवर (रुपये में)	लाभ (रुपये में)
वित्त वर्ष		
वित्त वर्ष		
वित्त वर्ष		

यह आगे प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टर्नओवर एजेंसी द्वारा पैन नंबर के तहत दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में घोषित टर्नओवर के अनुरूप है।
_____।

स्थान:

तारीख:

कॉस्ट/चार्टर्ड एकाउंटेंट की मुहर और हस्ताक्षर

निष्पादन सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी फॉर्म

निर्देशक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर

एनएच 65 नागौर रोड कारवार 342037

जबकि.....। (आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) (इसके बाद "आपूर्तिकर्ता" कहा जाता है) ने अनुबंध संख्या के अनुसरण में कार्य किया है। दिनांक। (इसके बाद "अनुबंध" कहा जाता है) आपूर्ति करने के लिए।

और जबकि उक्त अनुबंध में आपके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आपूर्तिकर्ता आपको एक अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आपके द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक गारंटी के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए अपने दायित्वों के अनुपालन के लिए सुरक्षा के रूप में और उचित प्रदर्शन के अनुसार प्रस्तुत करेगा। अनुबंध;

और जबकि हम आपूर्तिकर्ता को ऐसी बैंक गारंटी देने के लिए सहमत हुए हैं;

अब इसलिए हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हम आपूर्तिकर्ता की ओर से आपके लिए गारंटर और जिम्मेदार हैं, कुल मिलाकर। (शब्दों और अंकों में गारंटी की राशि), और हम एतद्वारा अपरिवर्तनीय और पूरी तरह से आपको तुरंत भुगतान करने का वचन देते हैं, आपकी पहली लिखित मांग पर अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को डिफॉल्ट रूप से और बिना किसी शिकायत या तर्क के, किसी भी राशि या रकम का भुगतान करने के लिए। पूर्वोक्त की सीमा (गारंटी की राशि), आपके द्वारा अपनी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि को साबित करने या आधार या कारण दिखाने की आवश्यकता के बिना।

हम एतद्वारा हमें मांग प्रस्तुत करने से पहले आपूर्तिकर्ता से उक्त ऋण की मांग करने की आपकी आवश्यकता को माफ करते हैं।

हम आगे इस बात से सहमत हैं कि आपके और आपूर्तिकर्ता के बीच किए गए किसी भी अनुबंध दस्तावेज के तहत किए जाने वाले अनुबंध की शर्तों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या अन्य संशोधन किसी भी तरह से हमें इसके तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। गारंटी देते हैं और हम ऐसे किसी भी परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन की सूचना का त्याग करते हैं।

बैंक गारंटी की व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी। गारंटर

बैंक प्रतिनिधित्व करता है कि इस बैंक गारंटी को ऐसे रूप में और ऐसी सामग्री के साथ स्थापित किया गया है जो गारंटीकर्ता बैंक के खिलाफ यहां दिए गए तरीके से पूरी तरह से लागू करने योग्य है।

गारंटीकर्ता बैंक या आपूर्तिकर्ता के विलय, समामेलन, पुनर्गठन या किसी अन्य परिवर्तन के कारण बैंक गारंटी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी। बैंक यह भी वचन देता है कि क्रेता की लिखित रूप में पूर्व व्यक्त सहमति के बिना अपनी अवधि के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करेगा।

बैंक घोषणा करता है कि उसके पास इस गारंटी को जारी करने और यहां पर विचार किए गए दायित्वों का निर्वहन करने की शक्ति है, अधोहस्ताक्षरी विधिवत अधिकृत है और बैंक की ओर से इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

यह गारंटी, 20..... के दिन तक और सहित वैध होगी।

.....।

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर सहित दिनांक)

.....।

अधिकारी का नाम और पदनाम

.....।

बैंक की मुहर, नाम और पता और शाखा का पता